न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 89/2019

1–रणवीरसिंह पुत्र भंवरलाल
2–रघुवीरसंह पुत्र भंवरलाल
समस्त जाति जाट निवासीगण भगवानपुरा तहसील नावां जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार नावां, तहसील नावां जिला नागौर राज0।

2– पटवारी हल्का नावां, तहसील नावां जिला नागौर राज0।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपीलअन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956

अपील विरूद्धनिर्णय राजस्व प्रकरण अधीन धारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 बअनुवान सरकार बनाम रणवीरसिंह वगै0 प्रकरण संख्या 52/2019 न्यायालय तहसीलदार नावां निर्णय दिनांक 14.08.2019

निर्णय

दिनांक:26.02.21

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नावां के प्रकरण सं0 52/2019 बअनुवान सरकार बनाम रणवीरसिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 14.8.2019 के विरूद्ध पेश किया है।

{2} मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नावां ने अपीलान्ट/अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार नावां को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थीगण ने मौजा ग्राम सांभर झील नावां के खसरा नम्बर 01 रकबा 24 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील पर नमक क्यार, कुए एवं ट्यूबवेल

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

बनाकर अतिक्रमण कर रखा है, जो कि सरकार की गै0मु0 झील की भूमि है। इसलिए अप्रार्थी को बेदखल किया जावे तथा कानूनी कार्यवाही की जावें।

न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा पटवारी हल्का नावां की जांच रिपोर्ट खसरा परिवर्तनशील अनुसार अपीलान्ट/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत तलब किया गया । अप्रार्थीयों को नोटिस जरिये पिता तामील होकर प्राप्त हुऐ। अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जिसकी जांच हल्का पटवारी से करवायी गई। पटवारी हल्का नावां की रिपोर्ट दिनांक 14.08.2019 के अनुसार अप्रार्थीगण का अतिक्रमण यथावत पाया गया ।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुसार अप्रार्थीगण ने संवत 2074 में भी अतिक्रमण कर रखा था जिसको हल्का पटवारी द्वारा बेदखली आदेश की पालना में पूर्व में दिनांक 26.02.2019 को बेदखल किया गया था। अप्रार्थी द्वारा संवत 2076 फसल रबी में पुनः अतिक्रमण कर लिया गया, जिसको हटाने के लिये राजस्व टीम का गठन किया जाकर दिनांक 12.06.2019 को मौके से बेदखल किया गया। इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का नावां के बयान लिये गये, जिसके अनुसार अप्रार्थी बार बार अतिक्रमण करने का आदि है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

चूंकि अप्रार्थी द्वारा ग्राम सांभर झील नावां के खसरा नम्बर 01 रकबा 24 है0 किस्म गै0मु0 झील पर नमक क्यार, कुए एवं टयूबवेल बनाकर पूर्व में सम्वत 2074, 2076 फसल रबी एवं पुनः 2076 फसल खरीफ में अतिक्रमण किया था अतः अप्रार्थीके खिलाफ भौतिक रूप से बेदखली के आदेश तथा शास्ती शरह लगान 96 का 50 गुणा अर्थात 4800/– अक्षरे चार हजार आठ सौ रूपये के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए। मुताबिक बयान पटवारी हल्का नावां के प्रार्थीगण पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के दोषी पाये जाने से पश्चातवर्ती अतिक्रमी सिद्ध होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के तहत अप्रार्थीगण रणवीरसिंह रघुवीरसिंह पुत्रगण भंवरलाल जाट निवासी भगवानपुरा तहसील नावां को तीन माह के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

दण्डित किया। मांग कायमी व बेदखली हेतु सम्बन्धित पटवारी हल्का नावा को आदेश जारी किया ।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 28.08.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 28.08.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का पत्र कमांक :राजस्व/2021/386 दिनांक 26.02.2021 के द्वारा रिकार्ड/पत्रावली प्राप्त हुई । अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 52/19 की प्रमाणित फोटोप्रति, पटवारी हल्का रिपोर्ट की प्रमाणित फोटोप्रति, खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर गुरतकिल काश्त संवत 2076 वर्ष 2019–2020 की प्रमाणित फोटोप्रति,अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित फोटोप्रति, नोटिस, व पटवारी बयानों की फोटोप्रतियां पेश की।

{3} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{3}(1)–यह है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.08.2019 एवं दण्डादेश अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2) –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में विधिक एवंम तथ्यात्मक त्रुटि की हैं, योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.08.2019 अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(3) – यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने के अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(4) –यह है कि तहसीलदार नावां द्वारा पूर्णरूप से विधि विरूद्ध तरीके से उक्त कार्यवाही की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा जिस भूमि पर पटवारी हल्का अतिक्रमण मानकर रिपोर्ट पेश की गई है एवं जिस पर तहसीलदार नावां द्वारा जुर्माना व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

बेदखल करने एवं तीन माह के सिविल कारावास का आदेश पारित किया हैं अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है।

{3}(5) –यह है कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 01 रकबा 24 हैक्टर में जो कब्जा करना बताया गया है। वहॉ पर अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई कब्जा न तो किया गया न है अपीलान्ट अपने हक अधिकार की भूमि पर ही काबिज है मौके पर अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नही कर रखा है।

{3}(6) – यह है कि अपीलान्ट द्वारा मौका देख व नाप चौप हेतु प्रार्थना पत्र भरकर प्रस्तुत किया गया है जिस पर भी कोई आदेश पारित नहीं किया गया है यदि मौका रिपोर्ट बनाई जाती है, तो मौके पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है।

{3}(7)– यह है कि प्रार्थीगण का झील भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण है तो पहले प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का नाप चौक करवाया जाना आवश्यक है।

{3}(8)– यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी के बयानों के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट को किसी प्रकार की जिरह का मौका नहीं दिया गया है, ना ही सुनवांई का कोई मौका दिया गया है। एवं पटवारी द्वारा बिना नाप के गलत रिपोर्ट दी गई हैं उक्त भूमि अपीलान्ट की स्वामित्व सुदा भूमि है।

{4} – बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का नांवा की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भू0अ0निरीक्षक नावां द्वारा की गयी, जिसके अनुसार अप्रार्थी द्वारा ग्राम साभंर झील, नावां के खसरा नम्बर 01 रकबा 24 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील पर नमक क्यार, व ट्यूबवैल बनाकर अतिक्रमण किया है,तथा पूर्व मे भी सम्वत 2074 से अतिक्रमण करना पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिका दिनांक 14.8.19 के अवलोकन से साबित होता है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट का अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस बाद तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो अभिलेख से साबित होता है। उक्त गै0मु0 झील सरकारी भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जाना कानूनन अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अपीलान्ट/अप्रार्थीगण ने 50/– रूपये के नोन जुडिशियल स्टांप पर दिनांक 23.02.2021 को एक शपथ पत्र भी पेश किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

जिसमें बताया कि विवादित भूमि खसरा नं0 01 रकबा 24 हैक्टर के किसी भी भू भाग पर अपीलान्ट/अप्राथीगण का कोई कब्जा/अतिक्रमण आज दिन तक नहीं है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण के मामले में धारा 91 के अन्तर्गत सिविल कारावास की सजा का प्रावधान है जो पर्याप्त रूप से कठोर दण्ड है। प्रस्तुत अपील में पटवारी हल्का के बयान भी सरसरी तौर पर पूर्व में टंकित प्रपत्र में रिक्त स्थान भर कर लिए गए है। पटवारी ने जिरह भी नहीं की गयी है। अपीलान्ट/अप्रार्थीगण के शपथ पत्र के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक 3 माह के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना व अधीनस्थ न्यायालय का फैसला बेदखली एवं जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

:::: आ दे श ::::

अपीलान्ट की अपील पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाकर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं, तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.08.2019 में दी गयी 3 माह की सिविल कारावास की सजा निरस्त करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय का बेदखली एवं जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तव में अपीलान्ट का इस भूमि पर कब्जा नहीं है अथवा हटा लिया है, इस बाबत तहसीलदार नांवा पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट प्राप्त करेगें। यदि अप्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में की गयी स्वीकारोक्ति के अनुसार कब्जा नहीं छोड़ा है तो तहसीलदार 15 दिन के अन्दर जरिए पुलिस अपीलान्ट का कब्जा हटावें।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)